न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 06/2008 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2008/00016)

श्रीमती कुसुम गोयल पत्नि श्री विजय गोयल जाति वैश्य निवासी कोडियान मौहल्ला जयदयाल सिंह मार्ग भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. कृषि उपज मण्डी समिति जरिये सचिव कृषि उपज मण्डी समिति ।
2. तहसीलदार भरतपुर।

.....असल रैस्पोडेन्टस

3. खैमचंद गर्ग पुत्र श्री भीकचंद गर्ग जाति वैश्य निवासी नई मण्डी भरतपुर।
4. श्रीमती इन्दू गोयल पत्नि दिनेशचंद गोयल वैश्य नि0 74 कृष्णा नगर भरतपुर।
5. श्रीमती लक्ष्मी गोयल पत्नि श्री विष्णुदत्त गोयल वैश्य नि0 74 कृष्णा नगर भरतपुर।
6. लक्ष्मन प्रसाद पुत्र स्व0 श्री भीकचंद गर्ग जाति वैश्य निवासी नई मण्डी भरतपुर।
7. कु0 शिखा गोयल पुत्री श्री विजय कुमार गोयल जाति वैश्य निवासी कोडियान मौहल्ला जय दयालसिंह मार्ग भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 22.12.2007 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 92/9.12.2005 चक नं0 2 भरतपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः– 16.08.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 22.122007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तहसीलदार भरतपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 92 दिनांक 9.12.2005 वाके चक नम्बर– 2 भरतपुर स्वीकृत किया गया जिसमें अपर रैस्पोडेन्ट संख्या 1 कृषि उपज मण्डी समिति भरतपुर के नाम खातेदारी स्वीकृत किये जाने की आज्ञा प्रदान की गई। जिससे व्यथित होकर तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष अपील पेश की गई। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2007 पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज करते हुये यह निर्णय दिया कि तहसीलदार भरतपुर ने उक्त नामान्तरकरण अवाप्तशुदा भूमि का नामान्तरकरण कृषि उपज मण्डी समिति भरतपुर के हक में खोला जाकर स्वीकार किया गया है। विवादित आराजी का बेचाननामा इत्यादि वगैरह भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 की विज्ञप्तियां जारी होने के बाद किये गये है जो कानूनन शून्य होते है। अवाप्ति के पश्चात अवाप्तशुदा भूमि सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाती है। तदनुसार अपील अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश से खारिज की दी गई। इस आदेश के विरूद्व यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूपेदार मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। आदेश नामान्तरकरण संख्या 92 दिनांक 9.12.2005 न्यायालय तहसीलदार भरतपुर एवं जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 22.12.2007 खिलाफ कानून व अभिलेखीय साक्ष्य के विरूद्व व मौके के विपरीत है जो हर सूरत में अपास्त होने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं किया कि विवादित खसरा नम्बर 758 के पूर्वी भाग में से 7 विस्वा भूमि कभी भी कृषि उपज मण्डी समिति को अवाप्त नहीं की गयी और न इस भूमि पर रैस्पोडेन्ट का कभी कब्जा रहा बल्कि यह भूमि अपीलान्टस के ही कब्जे व स्वामित्व में रही है तब तहसीलदार भरतपुर द्वारा 7 विस्वा जमीन को छोडकर ही कृषि उपज मण्डी के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक करना चाहिऐ था। वर्तमान अवाप्ति नोटिफिकेशन व अवाप्ति आदेश को भी अपीलान्ट के कब्जे स्वामित्व की 7 विस्वा भूमि की सीमा तक माननीय अपर जिला जज संख्या 3 फास्ट ट्रैक भरतपुर ने शून्य घोषित कर दिया है और कृषि उपज मण्डी समिति को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द

दिया है। इस डिक्री व निर्णय के परिपेक्ष्य में भी विवादित नामान्तरकरण अपास्त होने योग्य है। तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट को विवादित भूमि विक्रय करते समय भी राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के पूर्व हक अधिकारी फतेहसिंह मक्कर की खातेदारी व कब्जे में विवादित भूमि थी तथा अपीलान्ट के विरूद्ध कोई कार्यवाही या फैसला इस 7 विस्बा विवादित भूमि की बाबत माननीय राज0 उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय से कोई निर्णय नहीं हुआ है जो भी निर्णय हुये है उनमें अपीलान्ट अथवा उनके पूर्व हक अधिकारी पक्षकार नहीं रहे है। अपीलान्ट के कब्जे खातेदारी की भूमि को यदि बिना कब्जा देखे तहसीलदार भरतपुर ने अपीलान्ट का नामान्तरकरण केन्सिल कर दिया है तो वह गलत किया गया है वैसे भी धारा 5(24) राज0 टी0 एक्ट के तहत अपास्त होने के बाद नामान्तरकरण का कोई महत्व नहीं रह जाता है, परन्तु तहसीलदार भरतपुर ने अनावश्यक ही अपीलान्टस की खातेदारी की भूमि का इन्द्राज इस अवैध नामान्तरकरण के आधार पर कैन्सिल करके रैस्पोडेन्ट के नाम कर दिया है जो गलत है। दिनांक 26.11.1983 की विज्ञप्ति में अपीलान्ट के पूर्व हक अधिकारी का नाम गलत जोडे जाने पर तत्कालीन भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 7.3.1989 के अनुसार गत खसरा नम्बर 758 के कुल क्षेत्रफल 9 1/2 बीघा (साढे नौ बीघा) में से 6 बीघा 3 विस्बा की बाबत अवाप्तशुदा भूमि को विस्तृत विवरण देकर 3 बीघा 1 विस्बा भूमि ही अपीलान्टस के पूर्व हक अधिकारी की अवाप्त करना माना और दखल नामा0 में भी पूर्व की ओर 7 विस्बा जमीन अवाप्ति व कब्जे से छोडा जाना माना जिस पर कृषि उपज मण्डी के सचिव के हस्ताक्षर है व तहसीलदार के हस्ताक्षर 6 बीघा 3 विस्बा कुल अवाप्त भूमि में यदि गलत तौर से अपीलान्ट की पूर्व की तरफ 7 विस्बा भूमि को शामिल कर लिया जावेगा तो 6 1/2 (साढे छः बीघा) भूमि हो जावेगी जो अवाप्ति के नोटिफिकेशन के विपरीत होगी। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया है कि अपीलान्ट व उनके पूर्व हक अधिकारी ने विवादित भूमि का कोई मुआवजा भी कभी नहीं लिया है। इस प्रकार खण्डनाधीन आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटी की है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 22.12.2007 व नामान्तरकरण संख्या 92 दिनांक 9.12.2005 चक नम्बर 2 भरतपुर तहसीलदार भरतपुर निरस्त किया

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रैस्पों० संख्या 1 व 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने व रैस्पों० संख्या 3 व 4 उत्तरवादी रैस्पोडेन्ट होने के कारण वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनने तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलाधीन निर्णय में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है क्योंकि अपीलाधीन निर्णय स्पष्ट व तथ्यों पर आधारित है। अपीलाधीन निर्णय में विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलान्ट की ओर से अपील में वर्णित तथ्यों व उभय पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस का उल्लेख करते हुए निर्णय में यह माना है कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 92 दिनांक 09.12.2005 तहसीलदार भरतपुर द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का रैस्पों० कृषि उपज मण्डी समिति भरतपुर के हक में खोला जाकर स्वीकार किया गया है। विवादित भूमि का बयनामा वगैरा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 की विज्ञप्ति जारी होने के बाद किये गये हैं जो कानूनन सुनने होते हैं। अवाप्ति के पश्चात अवाप्तशुदा भूमि सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाती है। उक्त प्रकरण में जब तहसीलदार द्वारा रैस्पों० के पक्ष में विवादित भूमि का नामान्तकरण खोला गया तब किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं था और न ही भूमि अवाप्ति की कार्यवाही को निरस्त किये जाने का ही कोई आदेश था। पटवारी हल्का द्वारा उक्त नामान्तकरण तहसीलदार भू–अभिलेख की ओर से प्राप्त पत्र कमांक 13816 दिनांक 07.09.2005 की पालना में खोला गया है। इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि पत्र में वर्णित भूमि का कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा अवाप्ति के मुआवजे का भुगतान भी किया जा चुका है। अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा अवार्ड भी पूर्व में घोषित हो चुका है अतः अगर किसी न्यायालय का कोई स्थगन नही हो तो बाद जांच उपरोक्त खसरा नम्बरान का कृषि भूमि उपज मण्डी समिति के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना से अवगत करायें। पटवारी हल्का द्वारा उक्त आदेश का हवाला नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14 में देते हुए यह उल्लेख किया कि उक्त प्रकरण में अपर जिला सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रेक संख्या 4 भरतपुर में प्रकरण विचाराधीन है किन्तु स्थगन आदेश नहीं है। इस नामान्तकरण की जांच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा किये जाने के बाद तहसीलदार भरतपुर द्वारा दिनांक 09.12.2005 को उक्त नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। नामान्तकरण स्वीकार करते वक्त किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं था तथा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

विचाराधीन होने के आधार पर नामान्तकरण नहीं खोले जा सकने संबंधी कोई और विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। चूंकि अपीलाधीन नामान्तकरण रैस्पो0 कृषि उपज मण्डी के पक्ष में विधिवत रूप से अवाप्त की गई भूमि का खोला गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.12.2007 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर